

# मंडल ने 60 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण

पहले भी दो बार हटाया जा चुका है कब्जा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। प्रदेश के विभिन्न शहरों में अवाप्तशुदा जमीनों पर हो रहे अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए राजस्थान आवासन मंडल अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मंडल प्रशासन ने जयपुर की प्रताप नगर आवासीय योजना में लगभग साठ करोड़ रुपए कीमत की करीब पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर से अतिक्रमण हटाया। इस जमीन पर मंडल पूर्व में भी दो-तीन बार अवैध कब्जा हटवा चुका है, लेकिन बार-बार इस जमीन को हथियाने के लिए भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं। इस बार मंडल प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद उसकी चारदीवारी का काम भी शुरू कर दिया है।

एक्ट में संशोधन से सशक्त हुआ मंडल

आयुक्त ने बताया कि राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 खंड 2 में धारा 51 ख जोड़ी गई है, जिससे मंडल को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी संपत्ति से खुद अतिक्रमण हटा सकेगा। बोर्ड की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के बाद मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करने के साथ आवासों का निर्माण करने और आमजन को आवंटित करने में समय लगता है। इस अवधि में कई बार भूमाफियाओं द्वारा सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था। अभी तक बोर्ड के पास अतिक्रमण हटाने की शक्ति नहीं होने से जमीनों पर अतिक्रमण हो जाते थे, लेकिन अब एक्ट में संशोधन के



बाद अतिक्रमण हटाने के लिए मंडल में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

## पांच हजार वर्गमीटर जमीन कराई कब्जामुक्त

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल में वर्षों पूर्व अवाप्त की गई कुछ जमीनों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब ऐसी जमीनों को खाली कराने का काम किया जा रहा है। जयपुर की प्रताप नगर आवासीय योजना में सेक्टर 8 मुख्य हल्दीघाटी मार्ग स्थित लगभग पांच हजार वर्गमीटर भूमि पर भूमाफियों ने अतिक्रमण कर रखा था। मंडल के अधिकारी कर्मचारियों ने इस जमीन को अब खाली करवा लिया है। जल्द ही इस जमीन का प्लान तैयार किया जाएगा। आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल ने यह जमीन वर्ष 1989 में अवाप्त की गई थी। इस भूमि

पर भूमाफियाओं द्वारा टीन-शैड और बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई को प्रभावी ढंग से करने के लिए पुलिस का सहयोग लिया गया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाबूते के साथ, अतिरिक्त मुख्य अभियंता नत्थूराम, उप आवासन आयुक्त आरसी जैन, आवासीय अभियंता प्रकाश चौधरी, आरसी बुद्धनिया, भगवान सहाय, एमएस हाड़ा, परियोजना अभियंता वरिष्ठ आरएस गोदारा, समन्वयक भारत भूषण जैन, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह रमाणा और मंडल के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

एक्ट में संशोधन के

नवैरी की सजिण करने पांच नवराण सिपाहण